

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

क्रमांक / राजस्व / 2025 /

दिनांक :-

:आदेश:

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 संपादित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 मौजा रामदेरिया तला (खडीन)पटवार मण्डल खडीन के खातेदारी खसरा नंबर 725/541 किसम बा.सो. में एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का कही भी अंकन नहीं है। उक्त रास्तों का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन संलग्न दर्शाये अनुसार ए से बी के अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज- 6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08. 2016 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है।

क.स.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर.	कुल रकबा हेक्टेयर	किसम	रास्ते में प्रभावित भूमि रकबा हेक्टेयर में	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरों का रकबा हेक्टेयर में
	रामदेरिया तला (खडीन)	722/541	3.3427	बा.सो.	0.0566	3.2861

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मौके पर स्थाई रूप से चल रहे कदीमी / बारहमासी रास्ता मौजा हर मौसम / सीजन के अनुसार बदलता नहीं है एवं वर्ष भर आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध रहता है जो वर्तमान में चालू हैं तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में रास्ते में उपयोग में ली जा रही है। अतः तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न नक्शे में ए से बी तक निजि खातेदारी भूमि में से चालू स्थाई रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी रखते हुये नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा दिया जाकर संलग्न नक्शे में ए से बी तक रास्ते के रकबे सहित किसम गोरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। अतः तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी रामसर

रामसर

दिनांक :- 03/01/2025

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 39-40
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. पटवारी हल्का खडीन।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर